Uno Minda Limited
(Formerly known as Minda Industries Ltd.)

Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174
Date : 19/03/2024

National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	**BSE Ltd.** Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Scrip: UNOMINDA	BSE Scrip: UNOMINDA, 532539

Sub: Submission of newspapers clippings

Ref:- Information under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, regarding Notice convening the meeting(s) of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Uno Minda Limited and Unsecured Creditors of Kosei Minda Aluminum Co. Private Limited (Transferor Company 1), Kosei Minda Mould Private Limited (Transferor Company 2) and Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited (Transferor Company 3), pursuant to the order dated 26 February, 2024 of the Hon'ble National Company Law Tribunal , New Delhi Bench (Court-VI).

*****

Dear Sir(s),

This is in continuation of our earlier communication dated 18/03/2024, wherein we had sent the copy of the Notices of NCLT Convened Meeting(s) of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company and also Unsecured Creditors of the Transferor Companies as stated above, **scheduled to be held on 20 April, 2024** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM").

Enclosed please find the newspapers cuttings, wherein the Notice of the Company was published in Business Standards (English) and Business Standard (Hindi) newspapers on 19 March, 2024 regarding these meetings.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Uno Minda Limited

Tarun Kumar Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Uno Minda Limited Delhi

TARUN KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by TARUN KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.03.19 16:30:46 +05'30'

Encl: As above

FIFTH PUBLIC NOTICE

In continuation of similar public notice published on 02/09.2023 in THE FINANCIAL EXPRESS and JANSATTA, on behalf of my client M/S Kissan Petro Oils (P) Ltd., General Public is hereby informed that the properties No. 1) 7 B & C, Udyog Kendra, GNIDA, GB, Nagar, UP, belonging to M/S Omega Exports (P) Ltd. and 2) D-10, N.D.S.E.-II, New Delhi, owned by Sh. H.S.Grover, has been illegally put to e-Auction slated for 30.03.2024, by **Punjab & Sind Bank,** SAMVERT, 1st Floor, NBCC Building, Block-3, East Kidwai Nagar, New Delhi-23 vide their public notice dt. 14.03.2024, published in the BUSINESS STANDARD. The General Public is put to caution that the said Bank has **NO PHYSICAL POSSESSION, NO PERMISSION TO MORTGAGE,** no alleged legal charge against the said property w.r.t. the alleged liabilities of M/s Kissan Petro Oils (P) Ltd. The said **bank has miserably & legally failed FOUR TIMES** to take the physical possession of the aforementioned properties from 2016 till date under SARFAESI ACT. M/S Kissan Petro Oils (P) Ltd. has filed a counter-claim of Rs. 97 Crores against the Bank's alleged NPA claim of Rs. 33 Crore. The matter is sub-judice. Bank's illegal actions have already been **STAYED** by **Hon'ble DRT, New Delhi,** from taking any recovery proceedings till the simultaneous adjudication of alleged NPA claim of Rs. 33 Cr. and counter-claim of Rs. 97 Crore of the borrower. If, anybody indulges into the sale-purchase of properties mentioned above despite the **STAY ORDER dt. 21.03.2022 (Regarding 7B&C,) and STAY ORDER DATED 11.04.2022, restraining the Bank from taking the possession (of D-10, NDSE-II, New Delhi)**, in the matters passed by **Hon'ble DRT, New Delhi,** he/she/any entity shall be liable to be punished for **Contempt Of Court** as well as other laws, civil or criminal. The symbolic possession of Bank of both the properties stands quashed by orders dated 21.03.2022 and 11.04.2022 passed by **Hon'ble DRT, New Delhi,** and as per extant Statutory binding **RBI guidelines** and **Hon'ble Supreme Court's directions**, Bank cannot auction covertly/covertly the distressed assets without having physical possession and without disclosing all material facts, i.e. encumbrances etc. about the assets to the Bidder. Bank has put to e-auction of the said property on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS"** and **"WHATEVER THERE IS BASIS"** deliberately concealing all these above facts /legal lacunae in their Public Notice, which will led to unavoidable multiple litigation. In May-2023 the Bank has withdrawn their application U/S 14 of the SARFAESI Act, pertaining to 7 B&C, Udyog Kendra, from the office of **District Magistrate, G.B. Nagar,** after it is found that Bank has filed a FAKE and FORGED, permission to mortgage and criminal case may be lodged by the office of District Magistrate against the Bank.

The previous auction-purchaser has already filed a TSA/04/2024 DRT, New Delhi against the Bank for forfeiture of his deposited money. Therefore, Public is hereby warned, cautioned and informed that anybody dealing with the above property through this e-Auction scheduled for 30.03.2024 between 11:30 AM to 12:30 PM shall be doing so at his/her own risk, costs and peril.

Date: 16.03.2024

Ajay Kumar Porwal (Advocate)
196-J, 2nd Floor, Ramesh Market, East of Kailash, New Delhi-110065

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Regional Office:
31, Jail Chungi Meerut City, Ph. No.-0121-433102

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

APPENDIX- IV RULE- 8(1) Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas, The undersigned being the authorised officer of the **Central Bank of India** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as "Act") and in exercise of Powers conferred under section 13 (2) & 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the Borrowers/Guarantors/Mortgagor to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower/Guarantors/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the "Act" read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this below mentioned the date. The borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Central Bank of India, Respective Branch** for notice amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Sl. No.	Branch/Borrower's/ Guarantor's Names	Detail of Mortgaged Property	Date of Demand Notice	Amount Dues
1.	**Branch: Hapur** **Borrower:** Smt. Anjana Raghav w/o Mr. Rakesh Raghav. **2.** Shri Rakesh Raghav s/o Shri Surendra Singh Raghav, Both Residents of: Plot No. 70, Khasra No. 585, Village Chamri, Mohalla Subhash Nagar, Behind Saraswati Enclace, Delhi Road, Hapur - 245101 [U.P.].	Residential Property (Land & Building) at Plot No. 70, part of Khasra no. 585, Village Chamri, Mohalla Subhash Nagar, Hapur, admeasuring 119 sqr. yards, in the name of Smt. Anjana Raghav w/o Shri Rakesh Raghav. Bounded as under: North- Plot of Sandeep, South- Raasta 25 feet wide, East- Plot No.71, West- Plot No. 69.	07.11.2023 Date of Possession **16.03.2024**	**Rs. 28,38,712.00** as on 07.11.2023 + further intt. & other charges thereon - Recovery
2.	**Branch: Meerut City** **Borrower:** Smt. Gazala D/o ShriShahid Khan, 64, Gali No. 1, Rashid Nagar, Lisari Gate, Meerut- 250002. Shri Shahid Khan s/o Shri Jamil Khan, 65, Gali No. 1, Rashid Nagar, Lisari Gate, Meerut- 250002. **Guarantor:** Shri Mohd. Shahzad s/o Shri Mohd. Saleem, H. No. 244, Riksha Road, Poorvi Islamabad, Meerut City.	Residential Property (Land & Building); house and shop situated at Plot No. 97 & 98, Khasra No. 2838, 2839, 2853 & 28555 at Shokat Colony, Meerut, admeasuring 50 sqr. yards in the name of Smt. Ghazala D/o Shri Shahid Khan. Bounded as under: North- Plot of Aas Mohammad, South- Road 16 feet wide, East- Plot of other person, West- Plot of Mohammad Irfan.	09.11.2023 Date of Possession **14.03.2024**	**Rs. 15,26,219.00** as on 09.11.2023 + further intt. & other charges thereon - Recovery

Date : 18.03.2024 **Place: Meerut** **Authorized Officer**

Chola *Enter a better life*

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED
"CHOLA CREST" C 54 & 55, Super B-4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032, India
Bhilwara Branch Office: Plot No.8, 2nd Floor, Gandhi Nagar Extension Yojana, **Bhilwara** - 311001

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13[2] OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

You, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of the Act sent to you by Registered Post Ack. Due for Borrower/s has been returned undelivered. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, failing which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of the Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company.

S. No.	Name and Address of the Borrower/s / Loan A/c No.	Loan Amount	Date of Demand Notice & Amount Outstanding	Description of the properties/Secured Assets
1.	Loan Account No.**HE02BIW00000006636 / XOHEBIW00002310215 / XOHEBIW00003446753 (1) Ram Lal Gujar (applicant), (2) Anita Gujar (co_applicant) Both Are Resi. At:** Plot No. 72, Situated At Gokul Vihar (pansal), Bhilwara 311001, **(3) Radhe Kachori Center (co_applicant) (4)m/s Radhe Kachori Center (co_applicant)** Add.: Main Road,near Uit 1202 Rajasthan 311001. **Npa Date: 04.03.2024**	Rs. 30,73,731.00	**08/03/2024** & **Rs. 27,42,793.00** as **07/03/2024** with further interest thereon	**Plot No. 72, Situated At Gokul Vihar (Pansal), Bhilwara 311001 (Measuring Area 138.88 Sq Yard).**

Date : 16/03/2024, Place : Bhilwara **AUTHORISED OFFICER, Cholamandalam Investment And Finance Company Limited**

PUBLIC NOTICE

Public is informed that M/s Kallu Ram and Company has applied for loan at Fedbank Financial Services Ltd., against property jointly owned by Sh. Deepak Aggarwal and Sh. Nitin Kumar Aggarwal both S/o Late Sh. Kallu Ram bearing - Entire Third Floor of Freehold Built-Up Property Bearing No. 5217 to 5219 without Roof/Terrace Rights, built on an area measuring 310 Sq. Yards, situated at Gandhi Market, Sadar Bazar, Delhi-110006., vide Regd. Relinquishment Deed Dated 12.10.2021 executed by Sh. Ashok Kumar Gupta, Sh. Satish Kumar Aggarwal, Sh. Dinesh Kumar Aggarwal, Sh. Sanjay Aggarwal all S/o Late Sh. Kallu Ram and Smt. Indu Gupta W/o Sh. Rajesh Kumar Garg in favour of Sh. Deepak Aggarwal and Sh. Nitin Kumar Aggarwal both S/o Late Sh. Kallu Ram in respect of said property vide Document No. 9403, Vol. No. 8715, on page No. 35 to 39, in Book No. 1, registered on 12/10/2021, in SRO -I, New Delhi. Any objections to this loan to be sent in writing to the undersigned within 7 days (publication day inclusive) failing which it shall be deemed there is no objection to this loan.

VARUN PHOGAAT (ADVOCATE)
72/03, Street no.2, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave, New Delhi-110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

Grab the chance before it goes away.
File your updated return today!

Last date to file updated return for A.Y. 2021-22 : 31st March 2024

You can also file updated return for A.Y. 2022-23 and A.Y. 2023-24

An updated return can be filed in the following cases;

- If original return has not been filed
- If belated return deadline has been missed
- To modify original return, if Income was not declared correctly
- If wrong head of income was chosen or tax was paid at wrong rate
- If reduction in carried forward loss or unabsorbed depreciation is required
- If reduction of MAT/AMT credit is required
- If you have received notice u/s 133(6) of the Income - tax Act, 1961 for certain information about claim of deductions/exemptions regarding which suitable explanation/ evidence is not available with you
- If you have claimed wrongful deductions/ exemptions

If you file ITR-U till 31.03.2024	Amount of additional tax payable
For AY 2021-22	50% of aggregate of tax & interest payable
For AY 2022-23 & AY 2023-24	25% of aggregate of tax & interest payable

For more information,
please refer to section 139(8A) & 140B (3) of Income Tax Act, 1961
Don't Delay, File Today.

For e-Brochures, scan QR Code

Income Tax Department
Central Board of Direct Taxes
For more information, please visit www.incometax.gov.in

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndiaOfficial @Income Tax India @Income Tax India Official

cbc 15401/13/0024/2324

FORM NO. CAA2
(Pursuant to Section 230(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016)
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL NEW DELHI BENCH
COMPANY APPLICATION NO.: CA (CAA) No. 92/ND/2023
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION
AMONGST

Kosei Minda Aluminum Company Private Limited (formerly known as "Varada Auto Components limited" or "Kosei Minda Aluminum Company Limited"), a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Wazirpur III, North-West Delhi-110052.

...Transferor Company 1 / Applicant Company 1

Kosei Minda Mould Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at B-64/1 Wazirpur Industrial Area, Delhi -110052.

...Transferor Company 2 / Applicant Company 2

Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at B-64/1 Wazirpur Industrial Area, Delhi -110052.

... Transferor Company 3/ Applicant Company 3

Uno Minda Limited (formerly known as Minda Industries Limited), a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at B-64/1 Wazirpur Industrial Area, Delhi -110052.

...Transferee Company / Applicant Company 4
(Collectively referred as Applicant Companies)

AND
THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS
ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE NCLT CONVENED MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF TRANSFEREE COMPANY AND UNSECURED CREDITORS OF ALL APPLICANT COMPANIES

NOTICE is hereby given that by an order dated February 26, 2024 in Company Application No.: CA (CAA) 92/ND/2023, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court VI) ("**Tribunal" or "NCLT**"), ("**Order**") has inter alia directed to convene separate meetings of the equity shareholders of Transferee Company and Unsecured Creditors of the all Applicant Companies, to be held, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed scheme of amalgamation ("**Scheme**") of Kosei Minda Aluminum Company Private Limited ("**Transferor Company 1**"), Kosei Minda Mould Private Limited ("**Transferor Company 2**"), Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited ("**Transferor Company 3**") (hereinafter referred to as "**Transferor Companies**") and Uno Minda Limited ("**Transferee Company/Company**") and their respective shareholders and Unsecured creditors under the provisions of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("**Act**"), and the other applicable provisions of the Act, read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations Rules, 2016 ("**Rules**").

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meetings of the equity shareholders of Transferee Company and unsecured Creditors of the all Applicant Companies will **be held on Saturday, 20th April 2024 through Video Conferencing ("VC") or other audio-visual means ("OAVM")** at the respective scheduled times as mentioned herein below and the said Equity shareholders and unsecured creditors are requested to attend the respective meetings:

S. No.	Name of the Applicant Company	Class of Meeting	Time (IST)	Venue / Mode of Meeting
1.	Uno Minda Limited	Equity shareholders	10:00 A.M.	All Meetings to be held through VC or OAVM at common venue as directed in NCLT Order
2.	Uno Minda Limited	Unsecured Creditors	11:30 A.M.	
3.	Kosei Minda Aluminum Company Private Limited	Unsecured Creditors	01:00 P.M.	
4.	Kosei Minda Mould Private Limited	Unsecured Creditors	02:30 P.M.	
5.	Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited	Unsecured Creditors	04:00 P.M.	

Copies of the said Scheme of Amalgamation, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and read with Rule 6 of the Rules and accompanying documents (collectively referred to as the "**Particulars**") can be obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered office of the Applicant Companies or from the corporate office of the Transferee Company situated at Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikanderpur Badda, Manesar, Distt. Gurugram, Haryana-122004 during business hours up to the date of the meeting or can be inspected online at the website of the Transferee Company at www.unominda.com . The aforesaid Particulars can also be accessed/downloaded on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and websites of the stock exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

As this meeting is being held though VC/OAVM, physical attendance of members and Unsecured Creditors has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members and Unsecured Creditors are not available at these meetings. The equity shareholders and Unsecured Creditors are entitled to vote through postal ballot or remote e-voting facility or e-voting at the time of meeting. Equity shareholders and Unsecured Creditors who wish to vote through postal ballot or remote e-voting facility, may vote from March 21, 2024, 9:00AM (IST) to April 19, 2024, 5:00 PM (IST) or e-voting at the time of meeting.

The Hon'ble NCLT has appointed Dr. V. K. Agarwal, former Law Secretary, Govt. of India, as the Chairperson of the meeting and failing him, Mr. Vijendra Singh, Advocate as the Alternate Chairperson of the meeting, including for any adjournment(s) thereof. Further, The Hon'ble NCLT has also appointed Mr. NPS Chawla, Advocate and Company Secretary, as the Scrutinizer for the meeting, including for any adjournment(s) thereof. The abovementioned Scheme, if approved, at the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble NCLT and such other approvals, permissions, and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

The Notice of the aforementioned meetings has already been sent through electronic mode or registered post on **Monday, March 18, 2024,** to all the equity shareholders of Transferee Company and Unsecured Creditors of the all Applicant Companies at their respective email IDs/addresses registered with the Applicant Companies as on cut-off dates as mentioned herein below. A person/ entity who is not an member or Unsecured Creditor as on the said cut-off date will not be entitled to vote at the meeting and should treat this notice for information purposes only.

Further Notice is hereby given that for the purposes of the abovementioned meeting:

1. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, of the Act and rules made thereunder read with applicable circulars issued by SEBI, MCA or any other statutory Authority, as may be required from time to time, the Applicant Companies has provided facility of voting by remote electronic voting ("Remote e-voting"), and e-voting during the aforesaid meeting using facility offered by National Securities Depository Limited ("NSDL"), so as to enable the equity shareholders and Unsecured Creditors to cast their votes on the resolution, proposed to be passed at their meeting.
2. The detailed instructions for joining the meeting through VC/OAVM, manner of casting vote through remote e-voting prior to the meeting or voting through postal ballot or through e-voting during the meeting, are given in the notes to the notices of the respective meetings.
3. The cut-off date for e-voting (including Remote e-Voting and postal ballot) and time period for the remote e-voting and postal ballot of the aforesaid meeting is as under:

Name of the Applicant Company	Class of Meeting	Cut-Off date	Remote e-voting and postal ballot Commencment date and time	Remote e-voting and postal ballot end date and time
Uno Minda Limited	Equity shareholders	March 14, 2024	March 21, 2024 at 9:00 am	April 19, 2024 at 5:00 pm
Uno Minda Limited	Unsecured Creditors	October 21, 2023		
Kosei Minda Aluminum Company Private Limited	Unsecured Creditors	October 15, 2023		
Kosei Minda Mould Private Limited	Unsecured Creditors	October 15, 2023		
Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited	Unsecured Creditors	October 15, 2023		

4. As directed in Hon'ble NCLT Order, the Scheme shall be acted upon if a majority of persons representing three fourth in value of equity shareholders or Unsecured Creditors of the Applicant Companies voting through postal ballot or Remote e-Voting or e-Voting during the meeting, approve the Scheme in accordance with the provisions of Sections 230 to 232 of the Act. Additionally, The Scheme shall be acted upon the requisite approval of the Public Shareholders of the Transferee Company, in compliance to the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/93 dated June 20, 2023.
5. The facility for casting vote by Remote e-Voting would be disabled after the end time, as mentioned above, for the meetings. Members and Unsecured Creditors, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof. The duly filled in duplicate postal ballot form reaching the office of Scrutinizer later than 5:00 p.m. on Friday, April 19, 2024 will be rejected.
6. Members and Unsecured Creditors who opt for Remote e-Voting or voting through Postal Ballot will only be entitled to attend and participate in the meeting but will not be entitled to vote again during the meeting.
7. The voting rights of Equity Shareholders of the Transferee Company shall be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the members as on cut-off date and the voting rights of the Unsecured Creditors of the Applicant Companies shall be in proportion to the amount outstanding towards them by the respective applicant Companies as on Cut-off date, as mentioned above.
8. The results of votes cast through (i) Postal Ballot (ii) remote e-voting, and (iii) e-voting at the time of the Meeting, shall be announced by the Chairperson not later than two working days of the conclusion of the Meeting upon receipt of Scrutinizer's report and the same shall be displayed on the website of the Company www.unominda.com and on the website of NSDL www.evoting. nsdl.com, being the agency appointed by the Company to provide the voting facility to the unsecured creditors, besides being notified to NSE and BSE ("Stock Exchanges"), being the stock exchanges, where shares of the Company are listed.
9. The Chairperson of the meeting shall submit the result of the meeting to the Hon'ble NCLT within 7 (Seven) days of the conclusion of the meeting with regard to Scheme.
10. In case of any queries/ grievances with respect to e voting, the respective Equity Shareholders or Unsecured Creditors may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 – 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

Sd/- **Mr. Tarun Kumar Srivastava, Company Secretary** **Kosei Minda Aluminum Company Private Limited**	**Sd/-** **Mr. Vijai Pratap Singh, Director** **DIN: 08268956** **Kosei Minda Mould Private Limited**	**Sd/-** **Mr. Amit Gupta, Director** **DIN: 02340337** **Minda Kosei Aluminum Wheel Private Limited**	**Sd/-** **Mr. Tarun Kumar Srivastava, Company Secretary & Compliance Officer** **Uno Minda Limited**

Dated: March 18, 2024
Place: Delhi

1463
07/03/24

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आर.सी. संख्या: 696/2019 आगामी तिथि- 25.04.2024

प्रकरण का उनवान:

कोर्ट नोटिस (By CH, Bank)	: 07.03.2024
स्पॉट नोटिस (By CH, Bank)	: 18.03.2024
सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु (By Nodal Officer)	: 17.04.2024
नीलामी तिथि	: 20.04.2024

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स वंश कम्प्यूटर्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-II, किसान भवन के सामने, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

[illegible]

सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट की संख्या	अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	2	3	4	5
1	सम्पत्ति का विवरण:- Flat No. S-2 and S-3, Second Floor, Ganpat Enclave-I, at Plot No.5, Laxmi Nagar, Niwaru Road, Jaipur.	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

(सील) मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 07/03/2024 को जारी।

वसूली अधिकारी -II
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

फार्म सं. सीएए 2

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) और कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 एवं 7 के अनुसार]
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष,
कम्पनी आवेदन सं. : CA (CAA) 92/ND/2023
तथा
निम्नलिखित के समामेलन की योजना के मामले में

कोसाई मिंडा एल्युमीनम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की 'वराडा ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड' या 'कोसाई मिंडा एल्युमीनम कंपनी लिमिटेड'), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर III, उत्तर-पश्चिम दिल्ली-110052

...अन्तरक कंपनी 1 / आवेदक कंपनी 1

कोसाई मिंडा मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय बी-64/1 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -110052

...अंतरक कंपनी 2 / आवेदक कंपनी 2

मिंडा कोसाई एल्युमीनम व्हील प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय बी-64/1 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -110052

... अंतरक कंपनी 3/ आवेदक कंपनी 3

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व की मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय बी-64/1 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -110052

...अंतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 4 (सामूहिक रूप से आवेदक कंपनी के रूप में संदर्भित)
तथा
उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार

अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों और सभी आवेदक कंपनियों के अप्रतिभूत लेनदारों की एनसीएलटी द्वारा आयोजित बैठक के लिए नोटिस का विज्ञापन।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी आवेदन सं. CA (CAA) 92/ND/2023 में दिनांक 26 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय-VI) (''**अधिकरण**'' या ''**एनसीएलटी**'') ने कम्पनी (समझौता, ठहराव तथा समामेलन) नियम, 2016 ('**नियम**') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं उसके तहत निर्मित अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा नियमों (''**अधिनियम**'') के तहत कोसाई मिंडा एल्युमीनम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ('**अन्तरक कंपनी 1**'), कोसाई मिंडा मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ('**अंतरक कंपनी 2**'), मिंडा कोसाई एल्युमीनम व्हील प्राइवेट लिमिटेड ('**अंतरक कंपनी 3**') (इसके बाद इसे 'अंतरक कंपनी' संदर्भित) और ऊनो मिंडा लिमिटेड ('**अंतरिती कंपनी/कंपनी**') और उनके संबंधित शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदारों के बीच समामेलन की योजना ('**योजना**') पर विचार करने और यदि उचित समझा गया तो संशोधनों सहित या रहित अनुमोदन के उद्देश्य से अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा सभी आवेदक कम्पनियों के अप्रतिभूत लेनदारों के बीच अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है। कथित आदेश और उसके निर्देशों के अनुसार एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि अन्तरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा सभी आवेदक कम्पनियों के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक नीचे उल्लिखित समयानुसार शनिवार, 20 **अप्रैल**, 2024 को वीडियो कांफ्रेंसिंग (''**वीसी**'') या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''**ओएवीएम**'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी और उक्त इक्विटी शेयरधारकों, अप्रतिभूत लेनदारों से सम्बन्धित बैठकों में भाग लेने का अनुरोध है:

क्र.सं.	आवेदक कम्पनी का नाम	बैठक का वर्ग	समय (भा.मा.स.)	बैठक का स्थान/माध्यम
1.	ऊनो मिंडा लिमिटेड	इक्विटी शेयरधारक	10:00 बजे पूर्वा.	एनसीएलटी के आदेश के अनुसार सभी बैठकें वीसी या ओएवीएम के माध्यम से सामान्य स्थान पर संपन्न होंगी
2.	ऊनो मिंडा लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	11:30 बजे पूर्वा.	
3.	कोसाई मिंडा एल्युमीनम प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	01:00 बजे अप.	
4.	कोसाई मिंडा मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	02:30 बजे अप.	
5.	मिंडा कोसाई एल्युमीनम ह्वील प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	04:00 बजे अप.	

समामेलन की उक्त योजना की प्रतियां, तथा नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 102 के साथ पठित धारा 230 और 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत व्याख्यात्मक विवरण, और संलग्न दस्तावेजों (सामूहिक रूप से '**विवरण**' के रूप में संदर्भित) को किसी भी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) आवेदक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय से या अंतरिती कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ग्राम नवादा फतेहपुर, डाकघर सिकंदरपुर बड्डा, मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122004 से बैठक की तारीख तक व्यावसायिक घंटों के दौरान प्राप्त किया जा सकता है या अन्तरिती कंपनी की वेबसाइट **www.unominda.com** पर ऑनलाइन निरीक्षण किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

चूंकि यह बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों और अप्रतिभूत लेनदारों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, इन बैठकों में सदस्यों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार पोस्टल बैलट या रिमोट ई-वोटिंग सुविधा या बैठक के समय ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के हकदार हैं। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार जो पोस्टल बैलट या रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, वे 21 मार्च, 2024, 9:00 पूर्वाह्न (भा.मा.स.) से 19 अप्रैल, 2024, शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) तक मतदान कर सकते हैं।

माननीय एनसीएलटी ने भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव डॉ. वी.के. अग्रवाल को बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति में श्री विजेंद्र सिंह, एडवोकेट को बैठक का वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें कोई स्थगन भी शामिल है। इसके अलावा, माननीय एनसीएलटी ने श्री एनपीएस चावला, अधिवक्ता और कंपनी सचिव को बैठक के लिए, किसी भी स्थगन सहित, संवीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है। उपर्युक्त योजना, यदि बैठकों में अनुमोदित हो जाती है, तो माननीय एनसीएलटी की बाद की मंजूरी और नियामक या अन्य प्राधिकरणों की ऐसी अन्य मंजूरी, अनुमति और मंजूरी के अधीन होगी, जो आवश्यक हो सकती है।

उपरोक्त बैठकों की सूचना नीचे उल्लिखित कट-ऑफ तिथि तक आवेदक कंपनियों के साथ पंजीकृत अंतरिती कंपनी के सभी इक्विटी शेयरधारकों और सभी आवेदक कंपनियों के अप्रतिभूत लेनदारों को उनके संबंधित ईमेल आईडी/पते पर **सोमवार, 18 मार्च, 2024** को इलेक्ट्रॉनिक मोड या पंजीकृत डाक के माध्यम से पहले ही भेज दी गई है। कोई व्यक्ति/संस्था जो उक्त कट-ऑफ तिथि तक सदस्य या अप्रतिभूत लेनदार नहीं है, वह बैठक में वोट देने का हकदार नहीं होगा और उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त बैठक के प्रयोजनों के लिए:

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सेबी, एमसीए या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित समय-समय पर वांछित इसके तहत निर्मित अधिनियम और नियमों के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसार, आवेदक कंपनियों ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('**एनएसडीएल**') द्वारा दी गई सुविधा का उपयोग करके रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('**रिमोट ई-वोटिंग**') द्वारा वोटिंग, और उपरोक्त बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है ताकि इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को उनकी बैठक में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपना वोट देने में सक्षम बनाया जा सके।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने, बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके या पोस्टल बैलट के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के विस्तृत निर्देश संबंधित बैठकों की नोटिस के नोट्स में दिए गए हैं।
3. उपरोक्त बैठक में ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और पोस्टल बैलेट सहित) के लिए कट-ऑफ तिथि और रिमोट ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलेट के लिए समय अवधि इस प्रकार है:

आवेदक कम्पनी का नाम	बैठक का वर्ग	कट-ऑफ तिथि	रिमोट ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलट के प्रारंभ होने की तिथि तथा समय	रिमोट ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलट की अन्तिम तिथि तथा समय
ऊनो मिंडा लिमिटेड	इक्विटी शेयरधारक	14 मार्च, 2024	21 मार्च, 2024, 9.00 बजे पूर्वा.	19 अप्रैल, 2024 को 5.00 बजे अप.
ऊनो मिंडा लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	21 अक्टूबर, 2023		
कोसाई मिंडा एल्युमीनम प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	15 अक्टूबर, 2023		
कोसाई मिंडा मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	15 अक्टूबर, 2023		
मिंडा कोसाई एल्युमीनम ह्वील प्राइवेट लिमिटेड	अप्रतिभूत लेनदार	15 अक्टूबर, 2023		

4. जैसा कि माननीय एनसीएलटी आदेश में निर्देशित किया गया है, यदि आवेदक कंपनियों के इक्विटी शेयरधारकों या अप्रतिभूत लेनदारों के तीन चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्ति पोस्टल बैलट या रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान द्वारा अधिनियम की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अनुसार योजना का अनुमोदन करते हैं तो योजना पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना 20 जून, 2023 के सेबी मास्टर सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/93 के अनुपालन में, अंतरिती कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों की अपेक्षित मंजूरी पर कार्यान्वित की जाएगी।
5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैठकों के अंतिम समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा अक्षम कर दी जाएगी। सदस्य और अप्रतिभूत लेनदार, जिन्हें पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, वे कंपनी में आवेदन कर सकते हैं और उसकी डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद संवीक्षक के कार्यालय में पहुंचने वाले विधिवत भरे हुए डुप्लिकेट बैलट फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. सदस्य और अप्रतिभूत लेनदार जो रिमोट ई-वोटिंग या पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का विकल्प चुनते हैं, वे केवल बैठक में भाग लेने और उपस्थित रहने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के भुगतान मूल्य पर की जाएगी और आवेदक कंपनियों के अप्रतिभूत लेनदारों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि के अनुसार संबंधित आवेदक कंपनियों द्वारा उनके प्रति बकाया राशि के अनुपात में होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है,
8. (i) पोस्टल बैलेट (ii) रिमोट ई-वोटिंग, और (iii) बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों के नतीजे, संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और उसे कंपनी की वेबसाइट **www.unominda.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा, जो अप्रतिभूत लेनदारों को मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी है और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई ('स्टॉक एक्सचेंज') को सूचित किया जायेगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।
9. बैठक के अध्यक्ष को योजना के संबंध में बैठक के समापन के 7 (सात) दिनों के भीतर बैठक का परिणाम माननीय एनसीएलटी को प्रस्तुत करना होगा।
10. ई वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, संबंधित इक्विटी शेयरधारक या अप्रतिभूत लेनदार **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs)** तथा **e-voting user manual** देख सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजें।

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
श्री तरूण कुमार श्रीवास्तव, कंपनी सचिव	श्री विजय प्रताप सिंह निदेशक	श्री अमित गुप्ता निदेशक	श्री तरुण कुमार श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
	डीआईएन : 08268956	डीआईएन : 02340337	
कोसाई मिंडा एल्युमीनम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	कोसाई मिंडा मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	मिंडा कोसाई एल्युमीनम व्हील प्राइवेट लिमिटेड	ऊनो मिंडा लिमिटेड

दिनांक : 18 मार्च, 2024
स्थान : दिल्ली

IndusInd Bank
एफआरआर ग्रुप, ग्यारहवीं मंजिल, हयात रिजेंसी कॉमप्लेक्स, न्यू टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन, 2002 की धारा 13(2) ("अधिनियम") के अधीन सूचना

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से हासिल की गई ऋण की सुविधा के मूल धन एवं ब्याज की रकम चुकता करने में विफल होने के कारण **दिनांक 20.12.2023** को उनके ऋण खाते को अनर्जक सम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत **दिनांक 01.03.2024** को उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचनाएं जारी की गई थीं, जिसमें उन्हें सम्पूर्ण बकाया रकम **दिनांक 31.01.2024 को रु. 24,73,288/- (रुपये चौबीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ अट्ठासी मात्र)** तथा दिनांक 01.02.2024 से लागू दर पर आगे के ब्याज तथा जुर्माना ब्याज तथा उस पर उपार्जित अन्य कोई भी लागत, शुल्क, व्यय की रकम मांग की गई है एवं उसे चुकता करने को कहा गया है, इसमें से चुकता की गई रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। हालांकि, कुछ सूचनाएं असेवित वापस आ गई है तथा इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

1. मैसर्स मधु लाल जाट (कर्जदार) अपने स्वत्वाधिकारीः **श्री मधुलाल जाट** शॉप नं. 204, दूसरी मंजिल, कमला क्लॉथ मार्केट, गाँधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001 के जरिए।

2. श्री मधुलाल जाट (गारंटीदाता) धूलखेड़ा मालोला, भीलवाड़ा, राजस्थान-311802, और एक पताः- शॉप नं. 204, दूसरी मंजिल, कमला क्लॉथ मार्केट, गाँधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001

3. श्रीमती आशा जाट (गारंटीदाता) धूलखेड़ा मालोला, भीलवाड़ा, राजस्थान-311802, और एक पताः- शॉप नं. 204, दूसरी मंजिल, कमला क्लॉथ मार्केट, गाँधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001

संपार्श्विकः स्वत्वाधिकारी ("गिरवीदाता") द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई गिरवी के साथ न्यायसंगत संपार्श्विक प्रतिभूतियां:

अचल सम्पत्तियों का विवरण	स्वत्वाधिकारी/गिरवीदाता
1. गाँधी नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान 311001 में स्थित कमला क्लॉथ मार्केट की दूसरी मंजिल पर वाणिज्यिक शॉप नं. 204 (परिमाप 11.30 x 20.60 वर्ग फीट)	मधु लाल जाट

ऊपर नामित कर्जदार एवं उनके गारंटीदाताओं तथा गिरवीदाताओं को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया रकम चुकता करने को कहा गया है अन्यथा 60 दिनों के समाप्त होने पर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के उप-नियम (4) के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

तारीखः 19.03.2024 **स्थानः भीलवाड़ा, राजस्थान** **अधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड**

IndusInd Bank
एफआरआर ग्रुप, ग्यारहवीं मंजिल, हयात रिजेंसी कॉमप्लेक्स, न्यू टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन, 2002 की धारा 13(2) ("अधिनियम") के अधीन सूचना

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से हासिल की गई ऋण की सुविधा के मूल धन एवं ब्याज की रकम चुकता करने में विफल होने के कारण **दिनांक 29.07.2023** को उनके ऋण खाते को अनर्जक सम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत **दिनांक 29.02.2024** को उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचनाएं जारी की गई थीं, जिसमें उन्हें सम्पूर्ण बकाया रकम **दिनांक 31.01.2024 को रु. 8,15,752.30 (रुपये आठ लाख पंद्रह हजार सात सौ बावन एवं पैसे तीस मात्र)** तथा दिनांक 01.02.2024 से लागू दर पर आगे के ब्याज तथा जुर्माना ब्याज तथा उस पर उपार्जित अन्य कोई भी लागत, शुल्क, व्यय की रकम मांग की गई है एवं उसे चुकता करने को कहा गया है, इसमें से चुकता की गई रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। हालांकि, कुछ सूचनाएं असेवित वापस आ गई है तथा इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

1. मैसर्स जैद इंटरप्राइजेज (कर्जदार) अपने स्वत्वाधिकारीः मोहम्मद इस्लाम 488/बी/1डी, शॉप नं. 04, दिलशाद गार्डन, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110095 के जरिए।

2. मोहम्मद इस्लाम (गारंटीदाता) 488/बी/1डी, शॉप नं. 04, दिलशाद गार्डन, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110095, **और एक पताः**- मकान नं. 18, खसरा नं. 30, ऑफिस ब्लॉक, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम महमा सराय ऊर्फ कोर्ट, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001.

3. श्रीमती मुमताज मुमताज (गारंटीदाता) 488/बी/1डी, शॉप नं. 04, दिलशाद गार्डन, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110095, **और एक पताः**- मकान नं. 18, खसरा नं. 30, ऑफिस ब्लॉक, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम महमा सराय ऊर्फ कोर्ट, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001.

संपार्श्विकः कर्जदार की वर्तमान सम्पत्तियों के साथ सम्पूर्ण चल स्थाई सम्पत्तियों तथा स्वत्वाधिकारी ("गिरवीदाता") द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई गिरवी के साथ संपार्श्विक प्रतिभूतियों के हॉयपोथिकेशन पर प्रथम एवं विशेष प्रभारः

अचल सम्पत्तियों का विवरण	स्वत्वाधिकारी/गिरवीदाता
पंचवटी कॉलोनी, ग्राम मेहमा सराय ऊर्फ कोर्ट, लोनी, परगना तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 में स्थित खसरा नं. 30, मकान नं. 18.	श्री मोहम्मद इस्लाम तथा श्रीमती मुमताज

ऊपर नामित कर्जदार एवं उनके गारंटीदाताओं तथा गिरवीदाताओं को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया रकम चुकता करने को कहा गया है अन्यथा 60 दिनों के समाप्त होने पर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के उप-नियम (4) के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

तारीखः 19.03.2024 **स्थानः दिल्ली** **अधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड**

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग
डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत पेपर प्रकाशन के माध्यम से मांग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार(रों) ने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है और कथित सुविधाएँ प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित नॉन पर्फामिंग आस्तियों में परिवर्तित हो गयी हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचनाओं पंजीकृत डाक द्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं। किन्तु सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गयीं और अधिकृत प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कर्जदार/जमानती नोटिस की सर्विस से बच रहे हैं अतः इन्हें इसके विषय में सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

शाखा तथा कर्जदार/जमानती का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
शाखा : अलीगढ़ (उ.प्र.) 1. फईम पुत्र सलीम कर्जदार नूर नगर मुल्ला पाड़ा, भुजपुरा, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001, 2. सलीम पुत्र अब्दुल वहीद सह-कर्जदार/गारंटर नूर नगर मुल्ला पाड़ा, भुजपुरा, कोइल, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001, 3 शमीम पत्नी सलीम सहकर्जदार/गारंटर नूर नगर मुल्ला पाड़ा, भुजपुरा, अलीगढ़, उ.प्र.-202001. एमएसई प्रतिभूति ऋण (खाता संख्या 226921018000000031) और (खाता संख्या 2269218860000008)	मुल्लापारा, भुजपुजरा, तहसील कोइल, अलीगढ़ में स्थित खेत संख्या 48 की 100 वर्ग गज की आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, निम्नानुसार परिबद्धः सीमाएंः पूर्वः सन्नो का घर, पश्चिमः जलालुद्दीन का घर, उत्तरः कुब्रिस्तान, दक्षिणः सड़क। संपत्ति शमीम पत्नी सलीम यानी आप में से नं. 3 की है। बंधक के निर्माण के लिए स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 11.09.2018 और 25.06.2019।	21.11.2023	03.09.2023	15.11.2023 तक रु. 15,20,689/- तथा 16.11.2023 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार
शाखा : जयपुर (राजस्थान) 1. राम गोपाल कुमावत उर्फ राम गोपाल उर्फ गोपाल लाल कुमावत पुत्र शरवन लाल कुमावत उर्फ शरवन कर्जदार चोरस्या की ढाणी, दहमी कला, बगरू, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान - 303007, इसके अलावाः - मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की दुकान नंबर ए-65, टर्मिनल मार्केट, मुहाना मंडी, जयपुर, राजस्थान - 302029, 2. मीरा पत्नी राम गोपाल कुमावत उर्फ राम गोपाल उर्फ गोपाल लाल कुमावत सह-कर्जदार/गारंटर चोरसिया की ढाणी, दहमी कला, बगरू, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-303007, 3. रणजीत कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत सह-कर्जदार/गारंटर डाबर देहरा की ढाणी, दहमी कला, बगरू, जयपुर, राजस्थान - 303007। एमएसई प्रतिभूति ऋण (खाता संख्या 22262101800000013)	आवासीय मकान प्लॉट नं. 42 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, स्कीम गंगा विहार, ग्राम-बागरू, जिला जयपुर, सीमाएं इस प्रकार हैं : पूर्व : अन्य, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नं. 41, दक्षिण : प्लॉट नं. 42-ए. सम्पत्ति गोपाल कुमावत उर्फ राम गोपाल उर्फ गोपाल लाल कुमावत पुत्र शरवन लाल कुमावत उर्फ शरवन अर्थात आप में से नं. 1 से सम्बन्धित, बंधक के निर्माण के लिए स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 19.01.2019	06.02.2024	04.12.2022	रु. 12,22,633/- तिथि 30.01.2024 तक तथा 31.01.2024 से ब्याज एवं अनुबन्धर दर पर अन्य प्रभार

उपरोक्त कर्जदार(रों)/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें, इसमें विफल रहने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की तिथि के 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को हमारी पूर्व सहमति के बिना, ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति में से किसी भी तरीके से लेन-देन करने से निषिद्ध किया जाता है। यह कथित अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमारे लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

तिथि : 18.03.2024 **स्थान : अलीगढ़ एवं जयपुर** **अधिकृत प्राधिकारी**

कार्यालय वसूली अधिकारी–द्वितीय

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-II, किसान भवन के सामने, लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)
फार्म संख्या 13
(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)
वसूली प्रमाण पत्र संख्या : 587/2022 रिपोर्ट तिथि : 21.04.2024
प्रकरण का उनवान :

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	28.02.2024
स्पोट नोटिस बैंक द्वारा	11.03.2024
निरीक्षण की तिथि	03.04.2024
अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	08.04.2024
ई-ऑक्शन	15.04.2024

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स विनस एन्टरप्राईजेज व अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 587/2022 जो कि मूल आवेदन संख्या 287/2019 में दिनांक 01.09.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध रुपये 83,98,713.40 पैसे की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 01.03.2023 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चो सहित कुल राशि (वसूल की गई राशि के समायोजन के पश्चात्) रुपये 1,44,37,219.71 पैसे एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय C1, India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122003 के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये www.bankeauctions.com के माध्यम से दिनांक 15.04.2024 को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी स्थिति में है'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्यधीन होगा :-

(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 32.00 लाख रुपये होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। (3) वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा 20,000/- रुपये व इस राशि के गुणक में होगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वेबसाईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur, IFSC- HDFC0001843 में संधारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. पर भी भेज सकते हैं। (6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा। (8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जा करवायी जायेगी तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता संख्या 50200074019804 में नीलामी की तिथि से 15 वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। (9) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावे तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/-रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 03.04.2024 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता श्री विमल भडक्त्या, मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सार्ब, जयपुर से मोबाईल संख्या 8003290119 पर सम्पर्क कर सकते हैं। (11) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी/सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है। (12) प्रस्तावित बोलीदाता C1, India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122003 सम्पर्क- भाविक पांडया, मोबाईल नम्बर 8866682937, 7291891124/25/26 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वेबसाईट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 08.04.2024 को 3:00 बजे सांय तक है। (14) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C1, India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122003 के द्वारा दिनांक 15.04.2024 को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा। (15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण :

लॉट की संख्या	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांक न किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है।	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निर्णित ऋणी संख्या 3 की अचल सम्पत्ति :- Plot No. A.M.C. No. 29/792-B, Pipli Ka Kua, Dhola Bhata, Ajmer.	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 26.02.2024 को जारी।

वसूली अधिकारी-प्रथम,
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सुरजीत सिंह ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में अपने स्वामित्व वाली संपत्ति के खिलाफ ऋण के लिए आवेदन किया है - भूमि का क्षेत्रफल लगभग 420 वर्ग गज है, आवासीय भूमि खसरा नंबर 329 से आंशिक रूप से, ग्राम सुल्तानपुर के लाल डोरा की विस्तारित आबादी में स्थित है, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।उक्त संपत्ति के संबंध में श्रीमती रामपाली, श्रीमती शीतल, श्री बलजीत सिंह और श्री रणजीत खारी द्वारा श्री सुरजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री करतार सिंह के पक्ष में दिनांक 08.03.2024 को पंजीकृत त्याग पत्र निष्पादित किया गया। पंजीकरण संख्या 2024/7/1/1752 पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 6100, पृष्ठ संख्या 179 से 190 पर, 08/03/2024 को पंजीकृत, एसआर- साउथ हौज़ खास, नई दिल्ली। इस ऋण पर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कल्लू राम एंड कंपनी ने श्री दीपक अग्रवाल और श्री नितिन कुमार अग्रवाल दोनों पुत्र स्वर्गीय श्री कल्लू राम के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के खिलाफ फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ऋण के लिए आवेदन किया है- फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या 5217 से 5219 की पूरी तीसरी मंजिल बिना छत/छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 310 वर्ग गज के क्षेत्र पर निर्मित है, गांधी मार्केट स्थित, सदर बाज़ार, दिल्ली-110006। पंजीकृत त्याग विलेख दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री सतीश कुमार अग्रवाल, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल सभी पुत्र स्वर्गीय श्री कल्लू राम और श्रीमती इंदु गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गर्ग द्वारा श्री दीपक अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित किया गया और श्री नितिन कुमार अग्रवाल दोनों पुत्र स्वर्गीय श्री कल्लू राम ने उक्त संपत्ति के संबंध में दस्तावेज़ संख्या 9403, खंड संख्या 8715, पृष्ठ संख्या 35 से 39 पर, पुस्तक संख्या 1 में, 12/10/2021 को एसआरओ-I, नई दिल्ली में पंजीकृत किया। इस ऋण पर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कपिल भाटी ने श्रीमती इंद्रेश देवी पत्नी श्री अजीत सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति के खिलाफ फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ऋण के लिए आवेदन किया है- आवासीय भूमि खसरा नंबर 127 से आंशिक रूप से क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, खानपुर, तहसील एवं जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 06.03.2024 के माध्यम से उक्त संपत्ति के संबंध में श्री अजीत सिंह पुत्र श्री यादराम सिंह द्वारा श्रीमती इंद्रेश देवी पत्नी श्री अजीत सिंह के पक्ष में पंजीकरण संख्या-6829, खंड संख्या-44372 पुस्तक संख्या-1, पृष्ठ संख्या 103-116 दिनांक 06.03.2024, एसआर-सदर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर उ.प्र. द्वारा निष्पादित किया गया। इस ऋण पर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

कब्जा सूचना
सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
(अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 09.01.2024 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार/सह-कर्जदार **श्री कर्मवीर सिंह खटाना पिता देशराम खटाना/श्री वी.सी. खटाना पिता देशराम खटाना/श्री रणवीर सिंह खटाना पिता देशराम खटाना/हाईलाइन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम रु. 2,60,36,198.52/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख छत्तीस हजार एक सौ अनठानवे एवं पैसे बावन मात्र) चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा 14 मार्च, 2024 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 2,60,36,198.52/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख छत्तीस हजार एक सौ अनठानवे एवं पैसे बावन मात्र)** तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरणः

ग्राम सिलोखरा के निकट, झसरा, तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित साऊथ सिटी-I, फेज-I के नाम से ज्ञात रिहायसी कॉलोनी में के ब्लॉक-एम में भूतल, पहली मंजिल एवं दूसरी मंजिल 360 वर्ग यार्ड परिमाप का मकान नं. 202 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।

दिनांक : 14/03/2024
स्थान : दिल्ली

हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 3)
भूतल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17–ए, चंडीगढ़–160017

ऋण की वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति की कुर्की हेतु कारण बताओ

आरसी/1407/2017 ईएक्सएच. नं: 53
03–02–2024

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
पारुल मोंगा

प्रति,
(सीडी 1) पारुल मोंगा (मृतक) पुत्र रमेश कुमार मोंगा, एच. नं. बी– 10/14, चौक सुभानी बिल्डिंग, लुधियाना अपने विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से
(ए) मोनिका मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा, बी– 10/14, चौक सुभानी बिल्डिंग, लुधियाना
दूसरा पताः मोनिका मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा, पुत्री राकेश आहूजा निवासी एच.नं. 60, पांडव नगर, शाह गंज, आगरा
(बी) सुश्री एकांश मोंगा पुत्री स्व. पारुल मोंगा, एच.नं. बी– 10/14, चौक सुभानी बिल्डिंग, लुधियाना
दूसरा पताः मोनिका मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा, पुत्री राकेश आहूजा निवासी एच.नं. 60, पांडव नगर, शाह गंज, आगरा
(सीडी 2) मोनिका मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा, बी– 10/14, चौक सुभानी बिल्डिंग, लुधियाना
दूसरा पताः मोनिका मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा, पुत्री राकेश आहूजा निवासी एच.नं. 60, पांडव नगर, शाह गंज, आगरा
(सीडी 3) पायोनियर हुंडई सी/ओ मेसर्स एमआरजी ऑटो प्रा. लि., जी.टी. रोड, शेरपुर, लुधियाना–14103 एकांश मोंगा पत्नी स्व. पारुल मोंगा विधिक अभिभावक

जबकि, पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 3)** द्वारा **ओए/1837/2017** में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया राशि **रु. 11,19,465.57 (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार चार सौ पैंसठ और सत्तावन पैसा मात्र)** वादकालीन और **14.03.2016** से वसूली तक **10.15%** दर से भविष्य की ब्याज और लागतों अर्थात **रु. 14,000.00 (रुपये चौदह हजार मात्र)** आपके (संयुक्त और पृथक रूप में/पूर्णतः/सीमित) विरुद्ध देय हो गया है, और जबकि उक्त का भुगतान नहीं किया गया।

2. आपको वसूली अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 3)** के समक्ष **20.03.2024 को समय पूर्वा. 10.30** को हाजिर होने और नीचे उल्लिखित उक्त संपत्ति की आखिर क्यों कुर्की न की जाए का कारण बताने का निदेश किया जाता है।

इस संपत्ति में आगे आदेश(ओं) तक कोई भी तृतीय पार्टी हित करने से भी आपको निषिद्ध किया जाता है।

संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का विवरण
अचल संपत्ति	रारी मोहल्ला, तहसील और जिला लुधियाना स्थित संपत्ति म्यूनिसीपल यूनिट नं. B–X–14 (नया) और B–IX–358 (पुराना), एरिया माप 249 वर्ग गज (भूतल एरिया 227 वर्ग गज और प्रथम तल एरिया माप 249 वर्ग गज)

3. नोटिस लें कि चूक पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांकः **03.02.2024** को दिया गया

वसूली अधिकार,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)

To book your copy,
SMS **reachbs** to **57575** or
email us at **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out